

है। साधारणतः निदेशक शिकायतें प्राप्त नहीं करता; वह तो निदेशालय की जाच-पड़ताल सम्बन्धी अपनी प्रणालियों के अनुसार अपना जाच-पड़ताल का काम करता है जिस में गुमनाम चिट्ठियों सहित तरह-तरह के सूरगों के आधार पर आगे कार्यवाही करना तथा निदेशालय को किसी कारण से हुए किसी सन्देश के आधार पर आगे कार्यवाही करना शामिल है। इन सूरगों के आधार पर जाच-पड़ताल समाप्त होने के बाद जिन मामलों में काफी सबूत मिल जाता है। वे या तो निदेशक द्वारा निबटा दिये जाते हैं या प्रारम्भिक कार्यवाहियों के बाद न्यायालयों में भेज दिये जाते हैं। केवल निदेशक द्वारा निबटाये गये या न्यायालयों में निर्णीत हुए मामलों की सूचना देना ही सम्भव है। मन्त्र पटल पर दो विवरण रख दिए गये हैं जिनमें यह सूचना दी गयी है।

[द्वितीय परिशिष्ट १, अनुबन्ध सप्तम १४७]

Linguistic Minorities

615. Shri Vajpayee: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state

(a) whether there is any proposal for the provision of educational facilities for the children of linguistic minorities

(b) if so the broad outlines of the scheme, and

(c) when the scheme is likely to be finalised?

The Minister of Home Affairs (Shri G. B. Pant): (a) to (c) The Memorandum on safeguards for linguistic minorities, which was laid on the Table of this House on the 4th September, 1956 and was later issued to State Governments, provides for the educational facilities to be given to linguistic minorities. No further scheme regarding such facilities is under consideration.

Steel Plant at Raughat

616. { Shri S. C. Gupta:
Sardar A. S. Saigal:
Pandit J. P. Jyotishi:
Will the Minister of Steel, Mines and Fuel be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government have approached Government of India for the establishment of a steel plant at Raughat; and

(b) if so, the decision taken thereon?

The Minister of Steel, Mines and Fuel (Sardar Swaran Singh): (a) No, Sir

(b) Does not arise

Landless Scheduled Castes and Scheduled Tribes

617. Shri Ram Garib: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state how many families have been benefited since the Central Government advised the States to distribute land to the landless Scheduled Castes and Ex-criminal Tribes free of cost?

The Deputy Minister of Home Affairs (Shrimati Alva): Information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House

नेल और प्राकृतिक गैस आयोग का भारत सरकार

६१८ श्री रघुनाथ सिंह क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेल और प्राकृतिक गैस आयोग में काम करने वाले विदेशी अधिकारियों के स्थान पर कब तक भारतीय खनिक काम करने लग जायेंगे ?

इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : नेल और प्राकृतिक गैस आयोग में काम करने वाले विदेशी अधिकार व्ययन काम के लिये आवश्यक कर्मचारी हैं और कुछ परामर्शदाता या मलाहकार हैं। जब अध्ययनाधीन (under studies) भारतीय पूर्ण रूपेण प्रशिक्षण कर लिये जायेंगे और इन विशेष पदों पर कार्य करने के योग्य हो जायेंगे तो वे धीरे-धीरे विदेशी कर्मचारियों का स्थान ले लेंगे। कुल २२ विशेषज्ञों में से १२ रूसी विशेषज्ञों का स्थान तो पहले ही अध्ययनाधीन भारतीयों ने ले लिया है और कुल ४३ विशेषज्ञों में से २० रूसी व्ययन विशेषज्ञों का स्थान निकट भविष्य में अध्ययनाधीन भारतीयों द्वारा ले लेने की आशा है।